

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु

संविधान

(संशोधित संस्करण - 2011)



कार्यालय: खाटली दीवा (दुर्गा) मंदिर, किदवई नगर (पूर्वी), नई दिल्ली-110023
शाखायें: बुम्बई, भोपाल, जयपुर, फरीदाबाद, प्रतापविहार(गाजियाबाद) एवं खाटली, पौडी (गढवाल)

संविधान

1. नाम

- 1.1. इस संस्था का नाम 'गढवाल पट्टी खाटली सामाजिक विकास मंडल (पंजीकृत) दिल्ली' होगा।
- 1.2. संविधान में 'मंडल शब्द' का प्रयोग 'गढवाल पट्टी खाटली सामाजिक विकास मंडल (पंजीकृत) दिल्ली' के लिए किया जायेगा।
- 1.3. 'क्षेत्र' शब्द का प्रयोग संविधान में पट्टी खाटली के लिए किया जायेगा।
- 1.4. 'मंडल' गैर राजनैतिक, सार्वभौमिक (स्वतंत्र) धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवी संस्था होगी।

2. कार्यालय

मंडल का पंजीकृत प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा, किन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों तथा अन्यत्र राज्यों/पट्टी खाटली में भी शाखा कार्यालय स्थापित किए जा सकेंगे।

3. उद्देश्य

- 3.1. देश और खाटली के सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए एवं प्रवासी जनता के चहुंमुखी विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहेगा तथा खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, यातायात, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, सहकारिता एवं आपसी प्रेम-सदभाव के लिए कार्य करेगा।
- 3.2. खाटली में स्थित धार्मिक, पौराणिक तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों के विकास/संरक्षण के लिए कार्य करेगा।
- 3.3. खाटली के पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
- 3.4. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धनाभाव होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार जनता व सरकार/अन्य संस्थाओं से विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा।

3.5. सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को सामाजिक कार्य हेतु भूमि आवंटन की स्थिति में मंडल द्वारा भूमि ग्रहण/क्रय करने का प्रयास करेगा।

4. सदस्यता और उसके नियम-

4.1. खाटली का मूल निवासी/प्रवासी वयस्क (स्त्री अथवा पुरुष) जिसकी आयु, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि को 18 वर्ष से कम न हो, वह सदस्यता ग्रहण करने का पात्र होगा।

4.2. मंडल की सदस्यता दो प्रकार की होगी, 1- आजीवन, 2- साधारण

4.2.1. **आजीवन सदस्यता** – मंडल के संविधान में निर्दिष्ट नियमों का पालन करने वाला खाटली का निवासी एक मुस्त रु0 2100/- सदस्यता शुल्क देकर और निर्धारित प्रवेश पत्र भरकर आजीवन सदस्यता ग्रहण करने का पात्र होगा।

4.2.2. **साधारण सदस्यता** - मंडल के संविधान में निर्दिष्ट नियमों का पालन करने वाला खाटली का निवासी रु0 50/- वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर और निर्धारित प्रवेश पत्र भरकर साधारण सदस्यता ग्रहण करने का पात्र होगा।

4.3. मंडल के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी व्यक्ति की सदस्यता को अस्वीकार/रद्द कर सकता है।

4.4. मंडल की आम सभा तथा कार्यसमिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार उसी सदस्य को होगा जिसका निर्धारित आजीवन एवं साधारण सदस्य शुल्क मंडल को प्राप्त हो चुका होगा।

5. मंडल के संविधानिक पद एवं उनकी संख्या -

5.1 मुख्य पद -

संरक्षक(1), अध्यक्ष(1), महासचिव(1), कोषाध्यक्ष(1), निरीक्षक(1), सचिव (मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण)(1)

5.2 सहयोगी पद -

उपाध्यक्ष(1), उप महासचिव(1), उप कोषाध्यक्ष(1), सचिव(3), सांस्कृतिक सचिव(1)

5.1.1 संरक्षक – संरक्षक का पद मंडल में सर्वोच्च मनोनीत पद होगा। मंडल की आम सभा निम्नलिखित व्यक्तियों/ मंडल के सदस्य में से एक या एक से अधिक को सर्व सम्मति से संरक्षक मनोनीत कर सकती है-

- क्षेत्र के सांसद,
- विधायक अथवा
- सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम 10 वर्ष तक तन-मन-धन से मंडल की समाजसेवा की हो)।

कर्तव्य एवं अधिकार –

कर्तव्य –

- 1) मंडल के प्रति तन-मन-धन से निष्ठावान होगा।
- 2) परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में मंडल हित में मार्ग दर्शन करेगा तथा निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका निभायेगा।
- 3) मंडल की चल अथवा अचल संपत्ति पर विवादास्पद परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करेगा।
- 4) सलाहकार मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और सलाहकार मंडल द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में मंडल का मार्गदर्शन करेगा।
- 5) मंडल द्वारा समय समय पर सौंपे गये महत्व पूर्ण कार्यों का निष्पादन करेगा अथवा करवायेगा।

अधिकार –

- 1) संरक्षक को अधिकार होगा कि यदि किसी असाधारण परिस्थिति में विषय/प्रस्ताव पर आम सहमति से निर्णय न हो पा रहा हो तो संरक्षक अपने बुद्धिविवेक से मंडल हित में फैसला देकर विषय का निवटारा करेगा।

- 2) संरक्षक द्वारा लिए गये फैसले का सबको सम्मान करना होगा।
- 3) मंडल के हित और उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने के लिए किसी भी सामाजिक / धार्मिक संस्था अथवा व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करने का अधिकार होगा।
- 4) मंदिर परिसर में होने वाले किसी भी निर्माण कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कराने में मंडल को परामर्श देने का अधिकार होगा।

5.1.2 **अध्यक्ष** - मंडल का आजीवन अथवा साधारण सदस्य, अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन का पात्र होगा।

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) मंडल से संबंधित सभी कार्यों का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा। समय - समय पर होने वाली मंत्री मंडल, कार्यकारिणी व आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सभाओं में विवादास्पद विषयों पर सदस्यों का मत लेना और मतों की बराबर संख्या होने की स्थिति में अपना निष्पक्ष निर्णायक मत देगा।
- 2) विवादास्पद विषयों को आगामी बैठकों तक स्थगित करने का अधिकार होगा अथवा आवश्यकता पडने पर अलग से संरक्षक या सलाहकार मंडल की राय प्राप्त कर सकेगा।
- 3) अत्यवश्यक परिस्थिति में मंडल हित में एक बार ₹0 20,000/- तक (मंत्रीमंडल की सलाह पर) व्यय करने का अधिकार होगा परन्तु आगामी कार्यकारिणी अथवा आम सभा की बैठक में उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4) एक स्थाई पंजिका रखेगा जिसमें कार्यकारिणी व आम सभा द्वारा पारित आवश्यक निर्णयों को अंकित करेगा।
- 5) अपने अधीन किसी भी कार्यकर्ता के काम व आचरण से असंतुष्ट होने पर, ऐसे कार्यकर्ता को निलंबित करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष रखने का

अधिकार होगा

5.1.3 **महासचिव** - मंडल का आजीवन अथवा साधारण सदस्य, महासचिव पद के लिए निर्वाचन का पात्र होगा।

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) मंडल का प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी होगा।
- 2) मंडल से संबंधित सभी विषयों पर अध्यक्ष के परामर्श के अनुसार कार्य संचालन करेगा।
- 3) मंत्रिमंडल/कार्यकारिणी/आम सभा की बैठकों का निर्धारित समयानुसार अध्यक्ष की सलाह से आयोजन करेगा तथा समय-समय पर लिए गये निर्णयों पर उचित कार्यवाही करेगा।
अपने सहयोगी पदाधिकारियों को मंडल का कार्य संचालन कराने के लिए अधिकृत होगा।
- 4) मंडल की कार्यकारिणी / मंत्रिमंडल /आम सभा का कार्यवृत्त अंकित करेगा और आगामी बैठक में उसकी पुष्टि करायेगा।
- 5) आकस्मिक स्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह से मंडल हित में एक बार ₹0 10,000/- तक व्यय करने का अधिकार होगा, जिसकी स्वीकृत आगामी बैठक में लेनी आवश्यक है।

5.1.4 कोषाध्यक्ष -

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) मंडल के कोष को सुरक्षित रखेगा। मंडल के आय-व्यय संबंधी अभिलेखों को नियमित रूप से निर्धारित पंजिकाओं में अंकित करेगा।
- 2) प्रत्येक तिमाही में मंडल के द्वारा किये गये खर्च तथा प्राप्त आय का व्यौरा मंत्रिमंडल एवं कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- 3) मंडल को प्राप्त नगद धन राशि अथवा चैक आदि को मंडल द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय कृत बैंक में, (प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर) अनिवार्य रूप से जमा करेगा।
- 4) कोषाध्यक्ष अपने पास रू0 5,000/- तक नगद राशि रखने का अधिकारी होगा परन्तु यदि किसी विशेष प्रायोजन के लिए अग्रिम राशि की व्यवस्था करनी हो तो रू0 5,000/- के अतिरिक्त, अधिक राशि अपने पास रख सकेगा।
- 5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा महासचिव की लिखित स्वीकृति के बिना किसी को भी नगद धन अथवा चैक नहीं दिया जायेगा।
- 6) आय-व्यय पंजिकाओं और रशीद बुकों का व्योरा उप कोषाध्यक्ष की सहायता से तैयार करेगा।
- 7) प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर मंडल के आय व्यय का व्यौरा तैयार करेगा और उसे निरीक्षण के लिए कार्यकारिणी की संतुति के पश्चात निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। निरीक्षक द्वारा आय व्यय अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोषाध्यक्ष को आय व्यय अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

5.1.5 निरीक्षक

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) मंडल के समस्त आय-व्यय रिकार्ड/दस्तावेजों तथा चल अचल संपत्ति का निरीक्षण कर वार्षिक विवरण कार्यकारिणी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। यदि कोई अनियमितता पाई गई तो उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा।
- 2) अन्य सामयिक समितियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरीक्षण लेखा जोखा आगामी कार्यकारिणी की बैठक के लिए आवश्यक रूप से महासचिव को प्रस्तुत करेगा।
- 3) उचित विधि से धन व्यय हुआ या नहीं और सामान किस रूप में मिला आदि के संबंध में अपना मनतव्य एवं सुरक्षा हेतु उचित परामर्श भी प्रस्तुत कर सकेगा।

- 4) निरीक्षक यह भी जांच करेगा कि व्यय हेतु बैंक से धन की निकासी कब की गई एवं व्यय कर्ता के पास कब तक धन रहा, कब और किस तिथि को इसके लिए स्वीकृति दी गई, व्यय के बाद और आय होने पर बैंक में कब धन जमा हुआ। निरीक्षक को अधिकार होगा कि वह कभी भी मंडल के आय व्यय अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा।

5.1.6 सचिव (मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण) – कर्तव्य एवं अधिकार –

- 1) सचिव (मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण) 'मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण समिति' का संयोजक होगा तथा समय-समय पर समिति की बैठकों का आयोजन करेगा।
- 2) मंडल की चल-अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण स्थाई रूप से पंजिकाओं में विधिवत रूप से अंकित करेगा।
- 3) मंदिर में विराजमान देवी – देवताओं की प्रतिमाओं एवं उनके वस्त्र आदि का व्यौरा स्थाई रूप से रजिस्टर में अंकित करेगा।
- 4) मंदिर के लिए क्रय किए गये सामान अथवा दान स्वरूप प्राप्त सामान का पूर्ण विवरण लिखित रूप में रखेगा।
- 5) मंदिर पुजारी/सहायक पुजारी से समय-समय पर विचार विमर्श कर मंदिर के हित में विभिन्न धार्मिक आयोजनों का संचालन करेगा।
- 6) मंदिर की समस्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव सांस्कृतिक के साथ समन्वय बनाये रखेगा। आवश्यकता पडने पर मुख्य कार्यकर्ताओं की सलाह पर जरूरी मुद्दों को मंत्री मंडल/मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 7) मंदिर परिसर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों/बैठकों/वैवाहिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का पूरा व्यौरा एक स्थाई रजिस्टर में अंकित करेगा एवं इन आयोजनों से प्राप्त होने वाले धन/दान का व्यौरा भी रखेगा।
- 8) मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण समिति की बैठक प्रति माह आयोजित करेगा। आवश्यकता पडने पर बैठक को पहले भी बुलाई जा सकती है।

- 9) सचिव (मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण) को आकस्मिक कार्यों के लिए एक बार में ₹0 3,000/- की राशि व्यय करने का अधिकार होगा। मंदिर के निमित्त प्राप्त बिजली-पानी के बिलों का भुगतान नियमित रूप से न0दि0न0पा0 को जमा करेगा।
- 10) मंदिर में रखे दान पात्र की एक चाबी अपने पास सुरक्षित रखेगा और दान पात्र से समय समय पर प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यौरा रजिस्टर में अंकित कर कोषाध्यक्ष के पास जमा करवायेगा।
- 11) नवरात्रो/धार्मिक/वैवाहिक समारोहों के अवसर पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूर्ण नियंत्रण रखेगा।

5.2.1 सांस्कृतिक सचिव - कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक त्यौहारों को समयानुकूल समारोह पूर्वक मनाने की रूप रेखा तैयार करेगा और साथ ही समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक कार्य-क्रमों को आयोजित करने वाला मुख्य कार्यकर्ता होगा।
- 2) आयोजित कार्यक्रमों पर होने वाले अनुमानित व्यय का व्यौरा प्रस्तावित कार्यक्रम सहित कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 3) सचिव(मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण) को सहयोग प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यभार भी संभालेगा।
- 4) आवश्यकता अनुसार वह किसी भी सचिव और उप कोषाध्यक्ष का सहयोग प्राप्त कर सकता है।

5.2.2 उपाध्यक्ष - कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) अध्यक्ष को कार्य संचालन में पूर्ण सहयोग देना एवं उसकी अनुपस्थिति में प्रदत्त शक्तियों व मंडल का समस्त उत्तरदायित्व वहन करना।

- 2) सदस्य शुल्क वसूली के लिए रचनात्मक योजनाएं बनाना एवं वह विशेष सदस्यता शुल्क अभियान का स्वतंत्र रूप से संचालन करेगा।
- 3) वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

5.2.3 उप महासचिव -

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) महासचिव के बाद मंडल का दूसरा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगा। महासचिव अथवा कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये कार्यों का दायित्व निभाएगा।
- 2) महासचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेगा और महासचिव को प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।
- 3) सदस्यता अभियान में पूर्ण रूप से उपाध्यक्ष को सहयोग प्रदान करेगा।

5.2.4 उप कोषाध्यक्ष -

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वाह/प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 2) कोषाध्यक्ष के साथ रसीद बुकों का व्यौरा रखने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गये कार्यों का उत्तरदायित्व संभालेगा।

5.2.5 सचिव (3) -

कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) उपमहासचिव की अनुपस्थिति में वरिष्ठता क्रम में उनका कार्यभार संभालना।
- 2) अध्यक्ष व महासचिव द्वारा आवंटित विषयों पर मंडल के हित में कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- 3) सदस्य शुल्क एकत्रित करने में मंडल को सहयोग देना एवं उसके लिए रचनात्मक योजनाएं बनाना।
- 4) विभिन्न आयोजनों पर सौंपे जाने वाले उत्तर दायित्व का यथा शक्ति पालन करना।
- 5) समय-समय पर गठित अस्थाई समितियों का संचालन करना।
- 6) सांस्कृतिक सचिव और सचिव(मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण) को सहयोग प्रदान करना।
- 7) खाटली प्रवासियों एवं सदस्यों के मध्य व्यापक स्तर पर जनसंपर्क स्थापित करना।

6. चुनाव प्रक्रिया -

- 6.1. मुख्य पदों पर संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए आम सभा द्वारा एक चुनाव अधिकारी का सर्वसम्मति से चयन किया जायेगा।
- 6.2. नियम 5.1 में उल्लिखित मुख्य पदों - अध्यक्ष(1), महा सचिव(1), कोषाध्यक्ष(1), सचिव(मंदिर प्रवन्धन एवं निर्माण) और निरीक्षक(1) का चुनाव नामांकन/मतदान के द्वारा मंडल की निर्धारित आम सभा की बैठक में किया जायेगा।
- 6.3. नियम 5.1.1 में उल्लिखित संरक्षक को आम सभा की निर्धारित बैठक में सर्व सम्मति से पाँच वर्षों के लिए मनोनीत किया जायेगा।
- 6.4. नियम 5.2 में उल्लिखित सहयोगी पदों - उपाध्यक्ष(1), उप महासचिव(1), उपकोषाध्यक्ष(1), सचिव(3) और सांस्कृतिक सचिव(1) का चयन मुख्य पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात कार्यकारिणी समिति के 31 सदस्यों का चयन मंत्रिमंडल द्वारा किया जायेगा और जिसकी अनुसंशा आगामी कार्यकारिणी व आम सभा की बैठक में की जायेगी।
- 6.5. मुख्य पदाधिकारियों/सहयोगी पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से कम से कम 2 वर्षों के लिए होगा।

6.6. मंडल का कार्य वर्ष/वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक होगा एवं वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी-मार्च में आयोजित किया जायेगा।

नोट - जिन सदस्यों का निर्धारित सदस्य शुल्क चुनाव की तिथि के एक माह पूर्व मंडल के पास जमा नहीं होगा वह चुनाव लड़ने अथवा चुनाव में मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। यह प्रतिवन्ध आजीवन सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

7. मंत्रिमंडल/कार्यकारिणी/आम सभा के अधिकार एवं गणपूरक -

7.1. मंत्रिमंडल -

7.1.1. **मंत्रिमंडल** मुख्य पदाधिकारियों, सहयोगी पदाधिकारियों का प्रमुख कार्यकारी समूह होगा। मंडल के सभी कार्यों/ योजनाओं का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.1.2. विभिन्न आयोजनों के क्रियान्वयन की रूप रेखा तैयार कर (अनुमानित आय-व्यय सहित) कार्यकारिणी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

7.1.3. केवल आकस्मिक स्थिति में मंडल हित में एक समय पर ₹0 30,000/- तक खर्च करने का अधिकार होगा, जिसकी संस्तुति आगामी कार्यकारिणी /आमसभा की बैठक में लेनी आवश्यक होगी।

7.1.4. मंत्रिमंडल की बैठक का गणपूरक कुल मंत्री मंडल का ½ होना आवश्यक है।

7.1.5. मंत्रिमंडल द्वारा कार्यप्रभार प्राप्त करने के अवसर पर मंडल के प्रति निष्ठाभाव, ईमानदारी और मंडल हित में कार्य करने की संयुक्त रूप से शपथ ग्रहण करनी होगी।

7.2. कार्यकारिणी सभा-

7.2.1. **कार्यकारिणी सभा** मंडल की मुख्य कार्यकारी सभा होगी। मंडल की सभी कार्यविधियों/योजनाओं/निर्णयों का संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

- 7.2.2. मंदिर अथवा मंदिर परिसर में होने वाले निर्माण/विकास का पूर्ण दायित्व कार्यकारिणी समिति पर होगा।
- 7.2.3. मंडल की चल-अचल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- 7.2.4. कार्यकारिणी समिति को परिस्थिति अनुसार मंडल हित में एक समय में ₹0 50,000/- तक खर्च करने का अधिकार होगा किन्तु किये गये व्यय की स्वीकृति आगामी आम सभा से लेनी अनिवार्य होगी।
- 7.2.5. कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी सम्मानित सामाजिक व्यक्ति को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य समिति की बैठक/बैठकों में आमंत्रित कर सके।
- 7.2.6. कार्यकारिणी की बैठक का गणपूरक मंत्रीमंडल एव कार्यकारिणी सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होना आवश्यक है। यदि कार्यकारिणी समिति का निर्धारित गणपूरक तय समय की अवधि के अन्दर किन्ही कारणों से पूरा नहीं हो पाए तो साधारणतः वह बैठक ½ घंटे के लिए स्थगित कर उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के अनुसार पुनः आरंभ की जायेगी और उस बैठक में लिए गये निर्णयों को मान्य समझा जायेगा।
- 7.2.7. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार होना अनिवार्य है परन्तु विशेष परिस्थितियों में अल्पसूचना पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
- 7.2.8. संविधान के अनुसार मंदिर पुजारी/सहायक पुजारी की अवैतनिक नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7.3. आम सभा-

- 7.3.1. **आम सभा** मंडल की सर्वोपरि/सर्व अधिकार संपन्न सभा होगी।
- 7.3.2. इस सभा का मंडल की सभी चल-अचल संपत्ति पर आधारिक तौर पर स्वामित्व होगा।
- 7.3.3. यदि आम सभा उचित समझे कि खाटली दीवा(दुर्गा) मंदिर, किदवई नगर, नई दिल्ली के सुचारू एवं दीर्घकालीन संचालन के लिए ट्रस्ट (न्यास) बनाने की

आवश्यकता हो तो, आम सभा, ट्रस्ट नियमों के अधीन इस विषय/प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए सक्षम होगी। न्यास के लिए बोर्ड आफ ट्रस्टी के सदस्यों का चयन अथवा नामांकन, संबंधित नियमानुसार, आम सभा द्वारा किया जायेगा।

- 7.3.4. आम सभा को मंडल हित में खर्च (व्यय) करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 7.3.5. आम सभा को मंडल की नियमित आजीवन/साधारण सदस्यों की कुल संख्या के ½ गणपूरक के आधार पर मुख्य/सहयोगी पदों (संरक्षक को छोड़कर) पर विराजमान व्यक्ति को पद से हटाने का अधिकार होगा जिसके लिए आम सभा के 2/3 सदस्यों को लिखित/प्रस्ताव/आरोप पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7.3.6. आम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार (15 दिन की पूर्व सूचना पर) बुलाई जानी आवश्यक है परन्तु विशेष प्रस्थितियों में अल्पसूचना पर बैठक बलाई जा सकती है।
- 7.3.7. आम सभा की बैठक का गणपूरक नियमित सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होना आवश्यक है। विशेष/आपातकालीन बैठक में यह गणपूरक लागू नहीं होगा।
- 7.3.8. निर्धारित गणपूरक पूरा न होने पर बैठक 1/2 घंटे तक स्थगित रहेगी और पुनः बिना गणपूरक के संचालित की जायेगी।
- 7.3.9. यदि कतिपय कारणवश पूर्ण मंत्रिमंडल अपना सामूहिक त्यागपत्र दे दें तो, ऐसी स्थिति में आम सभा द्वारा मंडल का कार्य, जबतक नया मंत्रिमंडल गठित न हो जा, तब तक एक तदर्थ समिति संरक्षक की देख रेख में कार्य करेगी।

8.1. मंदिर पुजारी की नियुक्ति

- 8.1.1. मंदिर व मंदिर परिसर की व्यवस्था को धार्मिक रीति से संचालित करने के लिए मंडल द्वारा एक मंदिर पुजारी और एक सहायक पुजारी की नियुक्ति की जायेगी।

- 8.1.2. मंदिर पुजारी/सहायक पुजारी पट्टी खाटली का ब्राह्मण जाति का मूल निवासी होगा, जिसका चयन मंडल द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। पुजारी की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।
- 8.1.3. यदि मंदिर पुजारी के लिए खाटली का ब्राह्मण जाति का कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता तो पट्टी खाटली से बाहर के योग्य ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को पुजारी की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
- 8.1.4. पुजारी धार्मिक प्रवृत्ति, शिक्षित, धार्मिक विधिविधान /संस्कृत का ज्ञाता होगा और मंदिर में नियमित पूजा पाठ का निर्वाह करेगा।
- 8.1.5. मंदिर पुजारी/सहायक पुजारी की नियुक्ति अवैतनिक होगी।

8.2. मंदिर पुजारी का सेवाकाल

- 8.2.1. प्रारंभिक तौर पर मंदिर पुजारी का सेवाकाल नियुक्ति की तारीख से सशर्त एक वर्ष का होगा, जिसे पुनः अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- 8.2.2. मंदिर पुजारी का कार्यकाल, सेवा शर्तों के अनुसार संतोष जनक पाए जाने पर मंदिर प्रबंधन एवं निर्माण समिति की अनुशंसा पर प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकता है।
- 8.2.3. पुजारी के सेवाकाल को समय अवधि से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार मंडल को होगा।
- 8.2.4. मंदिर पुजारी/सहायक पुजारी को मंडल द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों का अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध पुजारी/सहायक पुजारी और मंडल के मध्य लिखित रूप में होगा।
- 8.2.5. परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार सेवाशर्तों के अनुबन्ध में नियमों/उप नियमों में परिवर्तन किये जाने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित होगा।

9. सलाहकार मंडल -

- 9.1. मंडल को समय-समय पर जटिल विवादास्पद विषयों पर परामर्श देने के लिए एक स्थाई उच्चस्तरीय सलाहकार मंडल गठित किया जाएगा, जिसका चयन कार्य कारिणी सभा द्वारा किया जाएगा।
- 9.2. इस सलाहकार मंडल में कम से कम 11 सक्रिय सदस्य होंगे और मंडल का संरक्षक इसका अध्यक्ष होगा। 10 सदस्यों में भूतपूर्व अध्यक्ष, महासचिव व अन्य सक्रिय/कर्मठ कार्यकर्ता/सदस्य को भी मनोनीत किया जाएगा।
- 9.3. सामान्यतौर पर सलाहकार मंडल के परामर्श का कार्यकारिणी सभा को पालन करना आवश्यक होगा।
- 9.4. विवादास्पद विषयों को, कार्यकारिणी समिति द्वारा सलाहकार मंडल के अध्यक्ष को विचारार्थ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

10. शाखा समितियाँ -

- 10.1. 'गढवाल पट्टी खाटली सामाजिक विकास मंडल (पंजीकृत) दिल्ली' के संविधान अनुच्छेद संख्या 2 के अन्तर्गत, मंडल को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों तथा अन्यत्र राज्यों/पट्टी खाटली में भी शाखा कार्यालय (समितियाँ) गठित करने का प्रावधान है।
- 10.2. दिल्ली के बाहर अन्य शहरों/राज्यों (जैसे - मुम्बई, फरीदाबाद, जयपुर, भोपाल, गाजियाबाद, खाटली आदि) में मंडल की शाखा समितियाँ पहले से ही गठित हैं(थी)। स्थानीय खाटली के प्रवासी इन समितियों का संचालन करते हैं और खाटली के सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पेयजल आदि के प्रसार के लिए कार्य करते हैं।
- 10.3. शाखा समितियाँ अपने कार्य क्षेत्रों में संविधान/नियमों के अन्तर्गत कार्य करने में स्वतन्त्र हैं किन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर मंडल से सहमति लेना अनिवार्य है ताकि आपस में समन्वय(तालमेल) बना रहे।

- 10.4. शाखा समितियाँ अपने वित्तीय साधन स्वयं अर्जित करेंगे और प्रवासी लोगों की संख्या के अनुसार सदस्य बनाये जायेंगे। सदस्य शुल्क शाखा समिति स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र होगी। आजीवन सदस्य भी बनाये जा सकते हैं जिसका सदस्य शुल्क कम से कम ₹0 2100/- होगा। शाखाओं द्वारा समारोह आदि आयोजित करने के लिए विशेष चन्दा एकत्रित करने का पूरा अधिकार होगा।
- 10.5. शाखा समितियाँ अपने पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची (नाम, पता, फोन नं.) मंडल को समय समय पर प्रेषित करेगी।
- 10.6. प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय का निरीक्षण करवा कर उसकी प्रति मंडल को भेजेगी।
- 10.7. शाखा समिति अपना संयुक्त बैंक खाता बीरोंखाल अथवा अन्य अपने-अपने क्षेत्रों में खोलेगी। संयुक्त खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अथवा सचिव के द्वारा शाखा समिति के ओर से संचालित किया जायेगा। शाखा समिति द्वारा खोले गये संयुक्त खाते की जानकारी मंडल को देनी होगी।
- 10.8. शाखा समिति में यदि किसी प्रकार विवादास्पद परिस्थिति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति को सामान्य बनाने में मंडल को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार होगा और आपसी बिचार विमर्श के जरिये फैसला लिया जायेगा, जो कि सर्व मान्य होगा। यदि शाखा समिति मंडल के उद्देश्यों के अनुसार काम न करे अथवा अपना दायित्व निभाने में असफल होती है तो मंडल शाखा समिति के भंग करने में सक्षम होगी और दूसरी शाखा समिति का स्थानीय सदस्यों की उपस्थिति में गठन करेगी।
- 10.9. भविष्य में दीवा डांडा में दीवा मंदिर निर्माण/जीर्णोधार/उच्चीकरण की योजना/निर्माण/भण्डारा आदि किया जाता है तो इसका प्रारूप मंडल तैयार करेगा जिसके क्रियान्वयन/व्यवस्था हेतु शाखा समितियाँ आर्थिक सहयोग देगी। यदि स्थानीय लोगों/संस्थाओं/शाखाओं द्वारा मंदिर निर्माण में कोई व्यवधान पैदा किया जाता है तो शाखा समितियाँ और मंडल ऐसे मामलों में जनता का सहयोग प्राप्त कर समस्या का सर्वमान्य हल निकालेगा।

11. विविध-

- 11.1. प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आम सभा की बैठक में मंडल के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ ग्रहण करनी होगी।
- 11.2. कार्यभार कार्यकारिणी सभा की बैठक में लिया जायेगा। सभी कार्यकर्ता अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे।
- 11.3. किसी भी बैठक में सदस्य विषय सूची के अनुसार ही प्रश्न पूछ सकते हैं, अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि ऐसे प्रश्न जिनसे मंडल/समाज का अहित या अहित होने की संभावना हो, को अस्वीकार कर सकता है।
- 11.4. अनुशासन भंग अथवा मंडल का अहित या विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्य को साधारण सभा की बैठक में 2/3 उपस्थित सदस्यों की स्वीकृति पर निश्चित अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है या सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- 11.5. क्षेत्र के किसी की व्यक्ति को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, किन्तु विशेष कार्य/परिस्थितियों में कार्यकारिणी सभा इस विषय पर विचार कर उचित निर्णय ले सकती है।
- 11.6. प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह मंडल के निमित्त कार्यलय से पूछ-ताछ एवं अध्यक्ष की स्वीकृति से आय-व्यय संबंधी सूचना की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- 11.7. संविधान में कोई भी परिवर्तन/संशोधन आम सभा की विशेष बैठक में उपस्थित संख्या के 2/3 के बहुमत से ही किया जा सकता है।
- 11.8. यदि कार्यकारिणी/मंत्रिमंडल का नियमित सदस्य बिना पूर्व सूचना या अकारण निरंतर तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो - उसके स्थान अन्य किसी सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है।
- 11.9. किसी पदाधिकारी की आकस्मिक मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में रिक्त स्थान पर अन्य योग्य सदस्य को शेष अवधि के लिए मनोनीत किया जा सकता है।

- 11.10. पदाधिकारियों/मंत्रिमंडल/कार्यकारिणी/आम सभा को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों की समीक्षा की जायेगी और समय अनुकूल उन्हें घटाया और बढ़ाया जा सकता है।
- 11.11. Registration of Societies Act. 1860 के अंतर्गत, 'गढवाल पट्टी खाटली सामाजिक विकास मंडल (पंजीकृत) दिल्ली' के समानान्तर अथवा उसी नाम से संस्था स्थापित करने पर प्रतिवन्ध होगा।
- 11.12. समाज कल्याण, साहित्य, शिक्षा, खेल-कूद, सांस्कृतिक, पर्यावरण, धार्मिक, संगीत एवं कला, राष्ट्रीय एकता और वीरता आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए मंडल द्वारा योग्य व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में अलंकृत किया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में अलंकृत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से दिशा - निर्देश बनाये जायेंगे।

संविधान संशोधन समिति के सदस्य(2011)

अध्यक्ष - श्री शिव चरण सिंह रावत, संरक्षक (रंगलच्छा)

9868227891

संयोजक - श्री रमेश चन्द्र शाह, सचिव (घोडियाना)

9810825133

सदस्य - श्री सतीश चन्द्र गौनियाल, अध्यक्ष (डॉंग)

9868103953

श्री कुन्दन सिंह डगवाल, महासचिव (खितोटिया)

9868091855

श्री भगवान सिंह नेगी, जाखणी (उप महासचिव)

9968260638

श्री ईश्वर सिंह रावत, सचिव (ग्वीन तल्ला)

9810826939

श्री दान सिंह बिष्ट (महादेव सैण) 9968263413

श्री राजी राम खनस्याली (ढुडकोली) 9990427033

श्री बलबन्त सिंह गुसाई (कन्दलेखा) 9868104446

श्री मोहन सिंह रावत (घोडियाना)

9968287797

श्री तेजपाल सिंह गुसाई (डुमैला मल्ला)

9871272102

श्री यशवन्त सिंह रावत (बवांसा तल्ला)

9868019574

श्री अनूप सिंह रावत (पनास) 9968255327

श्री जगत सिंह सजवाण (सिरोली)

9968297006

श्री जशवन्त सिंह रावत(तलाई)

9990808250

श्री शाकम्बर दत्त भदूला(कोलरी तल्ली)

9868757397